

संदर्भ: आईआरडीएआई/ई&सी/ओआरडी/ओएनएस/5/1/2024
Ref: IRDAI/E&C/ORD/ONS/5/1/2024

अंतिम आदेश
Final Order

मेसर्स अनमोल मेडीकेयर टीपीए लिमिटेड के मामले में
In the matter of M/s Anmol Medicare TPA Ltd.

[कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दिनांक 14 नवंबर, 2022 के लिए उत्तर, तथा सदस्य (स्वास्थ्य) और सदस्य (गैर-जीवन) से युक्त पैनल द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण), फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा, हैदराबाद, के कार्यालय में 18 जुलाई, 2023 को आयोजित वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किये गये प्रस्तुतीकरणों के आधार पर] [Based on reply to the Show Cause Notice (SCN) dated 14th November, 2022, and submissions made during personal hearing held at the office of the Insurance and Regulatory and Development Authority of India (Authority), Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, on 18th July, 2023, taken by a Panel consisting of Member (Health) and Member (Non-Life).]

पृष्ठभूमि / Background:

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने 15 दिसंबर, 2021 से 17 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान मेसर्स अनमोल मेडीकेयर टीपीए लिमिटेड (टीपीए अथवा कंपनी) का एक निरीक्षण संचालित किया। प्राधिकरण ने निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति टिप्पणियों की अपेक्षा करते हुए उक्त टीपीए को 20 जनवरी, 2022 को अग्रेषित किया और टीपीए की टिप्पणियाँ उनके पत्र दिनांक 4 फरवरी, 2022 के द्वारा प्राप्त की गईं।

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Authority) carried out an inspection of M/s Anmol Medicare TPA Ltd. (TPA or Company) during the period from 15th December, 2021 to 17th December, 2021. The Authority forwarded a copy of the inspection report to the TPA on 20th January, 2022, seeking comments and the TPA's comments were received vide their letter dated 4th February, 2022.

कारण बताओ नोटिस (एससीएन), उत्तर और सुनवाई:
Show-Cause Notice(SCN), Reply and Hearing:

2. टीपीए द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों की जाँच करने के बाद, प्राधिकरण ने टीपीए को एससीएन 14 नवंबर, 2022 को जारी किया जिसका उत्तर टीपीए द्वारा उनके पत्र दिनांक 6 दिसंबर, 2022 के अनुसार दिया गया। टीपीए को वैयक्तिक सुनवाई का एक अवसर दिया गया और वह प्राधिकरण के कार्यालय में 18 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई। श्री पी. एस. क्षत्रिय, सीईओ और श्री मुकेश सुतार, मुख्य लेखाकार उक्त टीपीए की ओर से सुनवाई में उपस्थित हुए। प्राधिकरण की ओर से श्री टी. वी. राव, महाप्रबंधक (प्रवर्तन और अनुपालन [ई&सी]), श्री संजय के. वर्मा, उप महाप्रबंधक (ई&सी), श्री साकेत गुप्ता, प्रबंधक (ई&सी), और श्री विश्वनाथ वी, प्रबंधक (ई&सी) उक्त सुनवाई में उपस्थित थे।

Upon examining the submissions made by the TPA, the Authority issued SCN to the TPA on 14th November, 2022, which was responded to by the TPA vide their letter dated 6th December, 2022. A personal hearing was given to the TPA and it was held at the office of the Authority on 18th July, 2023. Mr P. S. Kshatriya, CEO and Mr. Mukesh Suthar, Chief Accountant attended the hearing on behalf of the

TPA. On behalf of the Authority, Mr. TV Rao, General Manager (Enforcement & Compliance [E&C]), Mr. Sanjay K Verma, Deputy General Manager (E&C.), Mr. Saket Gupta, Manager (E&C), and Mr. Viswanath V, Manager (E&C), were present during the hearing.

3. एससीएन के लिए टीपीए द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों और सुनवाई के दौरान उनके द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया गया तथा आरोप पर प्राधिकरण के निर्णय का विवरण नीचे दिया गया है।

The submissions made by the TPA in their reply to the SCN and those made during the course of the hearing have been considered and accordingly the Authority's decision on the charge is detailed below.

आरोप, टीपीए के प्रस्तुतीकरणों का सारांश और प्राधिकरण का निर्णय:

Charge, Gist of the submissions of the TPA and Decision of the Authority:

4. आरोप / Charge

आईआरडीएआई (टीपीए – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम, 23, अनुसूची II, खंड 2 (ध) के अंतर्गत जारी की गई आचरण-संहिता का उल्लंघन, जो टीपीए के लिए अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाता है कि वह ऐसी किसी अन्य कंपनी, संस्था या व्यक्ति, जो उसके टीपीए व्यवसाय के साथ संबद्ध न हो, को कोई ऋण उधार न दे या प्रदान न करे।

Violation of code of conduct issued under clause 2 (s), Schedule II Regulation 23 of IRDAI (TPA-Health Services) Regulations, 2016, which mandates the TPA to not lend or grant any loan to any other company, entity or individual not connected with its TPA business.

टीपीए ने कर्मचारियों से इतर अन्य व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया है तथा इसे उनके अपने लेखा-परीक्षक द्वारा उनके ध्यान में लाने के बाद भी उसपर कार्रवाई नहीं की - और इस प्रकार ऊपर उल्लिखित आचरण-संहिता का उल्लंघन किया।

TPA has granted loan to individuals other than employees and even after being brought to its notice by its own Auditor, did not act upon the same - thus violating the code of conduct referred above.

5. टीपीए का उत्तर / Reply of the TPA:

उक्त टिप्पणी में उल्लिखित चार व्यक्तियों के संबंध में, टीपीए ने निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण किया:

With respect to four persons named in the observation, the TPA submitted as follows:

- i) विपुल पी शाह / VIPUL P SHAH –

वे 31/08/2019 तक कंपनी के कर्मचारी थे और तब से उन्हें दिया गया रु. 100000/- का ऋण बकाया है। उसके बाद पदोन्नति के कारण उन्हें एक कर्मचारी के रूप में समूह की एक अन्य कंपनी में स्थानांतरित किया गया था। सामान्यतः कंपनी किसी कर्मचारी को भारमुक्त करने से पहले खाते का निपटान कर लेती है और बकाया ऋणों की वसूली कर लेती है, परन्तु चूंकि यह एक अपवादात्मक मामला था और उक्त व्यक्ति समूह में एक कर्मचारी के रूप में जारी रहे हैं, अतः उन्हें उक्त ऋण की चुकौती करने के लिए कुछ समय दिया गया।

He was an employee of the company till 31/08/2019 and since then the loan of Rs. 100000/- advanced to him is outstanding. Subsequently he was transferred to the another company in the group as an employee due to promotion. Normally

मेसर्स अनमोल मेडीकेयर टीपीए लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश

Final Order in the matter of M/s Anmol Medicare TPA Ltd.,

company settles the account and makes recovery of outstanding loans before relieving an employee but as this case was an exceptional one and the person has continued as an employee in the group, he was given some time to repay the loan.

ii) डॉ. जय एम शाह / DR. JAY M SHAH –

वैयक्तिक सुनवाई के दौरान टीपीए ने स्वीकार किया कि श्री जय एम शाह उनका कर्मचारी नहीं थे तथा वस्तुतः टीपीए के तत्कालीन एक निदेशक के रिश्तेदार थे। श्री जय एम शाह को एक अल्पावधि के लिए उनके व्यावसायिक प्रयोजन के लिए रु. 1000000/- के ऋण की आवश्यकता थी तथा कंपनी ने उक्त भुगतान डा. जय एम शाह को 06.06.2017 को किया। 4-माह के बाद जय एम शाह ने उपर्युक्त ऋण की चुकौती के लिए कंपनी के नाम के बजाय टीपीए के समूह की एक अन्य कंपनी के नाम चेक 06.10.2017 को दिया, परंतु उपर्युक्त दिन को लेखा-टीम के जिम्मेदार व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण वह चेक स्वीकार किया गया और जमा किया गया। उक्त लेनदेन 30 मार्च 2022 को ठीक कर लिया गया।

During Personal Hearing, the TPA admitted that Mr. Jay M Shah was not their employee and in fact was a relative of a director of the TPA at that time. Mr. Jay M Shah needed a loan of Rs. 1000000/- for his professional purpose for short term period and the company made payment to Dr. Jay M Shah on 06/06/2017. After 4-month Jay M Shah gave cheque in the name of TPA's another group company instead of company's name towards repayment of the said loan on 06/10/2017 but due to non-availability of the responsible person of Accounts team on the said day, the cheque was accepted and deposited. The transaction as rectified on 30th March, 2022.

iii) हेमाली ए मेहता – रु. 155000/- की बकाया राशि
HEMALI A MEHTA – O/S OF RS 155000/-

यह लेनदेन कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की बगल में स्थित कार्यालय परिसर से संबंधित है। कंपनी उक्त परिसर का अधिग्रहण करना चाहती थी। 2017 में उक्त परिसर के मालिकों के साथ सौदा निष्पादित करने के विषय में श्रीमती हेमाली ए मेहता से संपर्क किया गया। उनके आश्वासन पर उनको श्री सुकुमार दोषी और उक्त परिसर के सह-मालिकों को आंशिक भुगतान करने के लिए रु. 700000/- का अग्रिम दिया गया। परंतु वे उक्त सौदे को अंतिम रूप नहीं दे सकीं और उनके प्रयास व्यर्थ हुए। अतः उन्होंने रु. 545000/- उसी वर्ष 2017 में कंपनी को लौटा दिये। रु. 155000/- की शेष राशि बकाया थी। अंततः कंपनी उक्त सौदे का निपटान कर सकी और उक्त कार्यालय परिसर 31.05.2021 को खरीद लिया गया।

This transaction pertains to an office premises adjoining to the registered office of the company. The company was willing to acquire the said premises. In 2017 Mrs. Hemali A. Mehta was approached in the matter of executing the deal with the owners of the premises. On her assurance she was given an advance of Rs. 700000/- for making part payment to one Mr. Sukumar Doshi and other co-owners of the said premises. But she could not get the deal finalized and her efforts were in vain. She therefore, returned Rs. 545000/- to the company in the same year 2017. Balance amount of Rs. 155000/- was outstanding. Ultimately the company was able to settle the deal and purchase the office premises on 31/05/2021.

iv) सुकुमार दोषी - रु. 925000/- की बकाया राशि
SUKUMAR DOSHI - O/S OF Rs. 925000/-

श्री सुकुमार दोषी के साथ लेनदेन कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की बगल में स्थित कार्यालय परिसर से संबंधित है। टीपीए ने श्री सुकुमार दोषी, उपर्युक्त परिसर के एक सह-मालिक को रु. 600000/- का

भुगतान 06.02.2020 को और रु. 325000/- का भुगतान 26.02.2021 को किया। कंपनी के नाम विक्रय विलेख 31.05.2021 को निष्पादित किया गया। अतः श्री सुकुमार दोषी को विक्रय प्रतिफल के लिए किये गये भुगतान अग्रिमों के रूप में 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में दर्शाया गया। उक्त भुगतान करने से पहले टीपीए और श्री सुकुमार दोषी के बीच कोई विक्रय करार निष्पादित नहीं किया गया था।

The transaction with Mr. Sukumar Doshi pertains to an office premises adjoining to the registered office of the company. The TPA paid Rs 600000/- on 06/02/2020 and Rs. 325000/- on 26/02/2021 to Mr. Sukumar Doshi one of the co-owners of the said premises. The sale deed was executed in favour of the company on 31/05/2021. Therefore, payments to Sukumar Doshi towards the sale consideration are shown as advances in the balance sheet as on 31/03/2021 of the TPA. There was no Sale Agreement executed between the TPA and Mr. Sukumar Doshi before making the payment.

6. निर्णय / Decision:

जैसा कि टीपीए द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया, श्री जय एम शाह टीपीए के कर्मचारी नहीं थे; और तब भी रु. 10,000,00 /- का ऋण उनको दिया गया था। इस बात पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि उपर्युक्त ऋण की चुकौती भी उपर्युक्त व्यक्ति के द्वारा समूह की एक कंपनी को की गई थी, न कि टीपीए को। इस लेनदेन को टीपीए की बहियों में केवल 30 मार्च, 2022 को ही ठीक कर लिया गया। इस प्रकार, श्री जय एम शाह के मामले में, आईआरडीएआई (टीपीए – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 23, अनुसूची II खंड 2(ध) का उल्लंघन सिद्ध होता है। यह महत्वपूर्ण है कि प्राधिकरण द्वारा विनियमित एक संस्था विनियमों का पालन करे, तथा विशेष रूप से ऐसे विनियमों का जो संस्था की वित्तीय स्थिति से संबंधित हैं। अतः बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण मेसर्स अनमोल मेडीकेयर टीपीए लिमिटेड पर रु. 100000/- (रु. एक लाख मात्र) का अर्थदंड लगाता है।

As admitted by the TPA itself, Mr. Jay M Shah was not an employee of the TPA; and still a loan of Rs. 10,000,00/- was advanced to him. It is pertinent to note that even the repayment by the said individual of the said loan money was made to the group company and not the TPA. The transaction was rectified in the books of the TPA only on 30th March 2022. Thus, in case of Mr. Jay M Shah, violation of clause 2 (s), Schedule II Regulation 23 of IRDAI (TPA-Health Services) Regulations, 2016 is established. It is important that an entity regulated by the Authority adheres to the Regulations, and especially such regulations which have a bearing on the financials of the entity. Therefore, in exercise of powers vested under Section 102 of the Insurance Act, 1938, the Authority imposes a penalty of Rs. 100000/- (Rs. One Lakh only) on M/s Anmol Medicare TPA Ltd.

आरोप में उल्लिखित अन्य तीन व्यक्तियों के संबंध में, टीपीए को लेखा-विवरण उपयुक्त रूप में न रखने तथा जहाँ आवश्यक है वहाँ भुगतानों को दर्ज न करने तथा इस प्रकार अपने लेखों की स्थिति सही और वास्तविक रूप में प्रस्तुत न करने के लिए सचेत किया जाता है एवं आईआरडीएआई (टीपीए – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 23, अनुसूची II, खंड 2(ध) के अंतर्गत उल्लिखित आचरण-संहिता का पालन करने के लिए सूचित किया जाता है।

With respect to other three persons mentioned in the charge, the TPA is cautioned for not maintaining the statement of accounts appropriately and not recording the payments wherever required thus failing to provide true and correct picture of their accounts and is advised to adhere to the code of conduct as mentioned under clause 2(s) Schedule II, Regulation 23 of IRDA (TPA-Health Services) Regulations, 2016.

7. निर्णय का सारांश / Summary of Decision:

इस आदेश में निर्णय का सारांश निम्नानुसार है:
The following is the summary of decision in this order:

आरोप का संक्षिप्त शीर्षक और उल्लंघन किये गये उपबंध Brief Title of charge and the provisions violated	निर्णय Decision
आरोप: टीपीए ने कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया है। Charge: TPA has granted loan to individuals other than employees उपबंध: खंड 2 (ध), अनुसूची II (आचरण संहिता), आईआरडीएआई (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 का विनियम 23 Provision: clause 2 (s), Schedule II (Code of Conduct) Regulation 23 of IRDAI (TPA-Health Services) Regulations, 2016	रु. 100000/- का अर्थदंड Penalty Rs. 100000/-

8. इस आदेश के आरोप के अंतर्गत लगाये गये रु. 100000/- के अर्थदंड की राशि इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 45 दिन की अवधि के अंदर एनईएफटी / आरटीजीएस (जिसके लिए विवरण अलग से सूचित किया जाएगा) के माध्यम से विप्रेषित की जाएगी। विप्रेषण की सूचना श्री टी. वी. राव (महाप्रबंधक - प्रवर्तन और अनुपालन विभाग) को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, रोड सं. 2, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा, गच्छीबौली, हैदराबाद- 500032 के पते पर भेजी जाएगी अथवा ई-मेल से enforcement@irdai.gov.in को दी जाएगी।

The penalty amount of Rs. 100000/- levied under the Charge of this order, shall be remitted through NEFT/ RTGS (details for which will be communicated separately) within a period of 45 days from the date of receipt of this Order. An intimation of remittance shall be sent to Mr. T.V. Rao (GM- Enforcement & compliance Department) at the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Road No. 2, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 or by email to enforcement@irdai.gov.in.

9. इस आदेश की एक प्रति टीपीए की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाएगी और साथ ही, टीपीए की आगामी बोर्ड बैठक में भी प्रस्तुत की जाएगी तथा उक्त बैठक से 15 दिन के अंदर टीपीए विचार-विमर्श के कार्यवृत्त की एक प्रति प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

A copy of this order shall be placed before the Audit committee of the TPA and also in the next Board meeting of the TPA and within 15 days of the said meeting, TPA shall submit a copy of the minutes of discussions, to the Authority.

10. यदि टीपीए इस आदेश में निहित किसी भी निर्णय से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के अधीन प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

If the TPA feels aggrieved by any of the decisions in this order, an appeal may be preferred to the Securities Appellate Tribunal, Mumbai, under Section 110 of the Insurance Act, 1938.

(थामस देवसिया / Thomas Devasia)
सदस्य (गैर-जीवन) / Member (Non-Life)

(बी.सी. पटनायक / B.C. Patnaik)
सदस्य (स्वास्थ्य) / Member (Health)

स्थान / Place: हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक / Date: 09.01.2024